आदरणीय भाईयो एवं बहिनों,

सादर नमस्कार!

कोरोना 2019 महामारी की विपत्तियों से पिडित समाज बन्धुओं को बाहर निकालने एवं कम आय वर्ग व्यक्तियो को दैनिक राशन, फल, सब्जी, भोजन दूध, चाय, ब्रेड एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धित कार्यो में श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा, श्री खण्डेलवाल वैश्य गंगा मन्दिर समिति, जयपुर एवं शिक्षण संस्थाओ की प्रबन्ध समितियों और अ.भा.खण्डेलवाल वैश्य युवा जागृति संध के सदस्य जो कि विशिष्ट प्रतिभाओ के धनी है, लगे हुये है।

खण्डेलवाल शिक्षण संस्था सुधार समिति में जो लगभग 15 खण्डेलवाल समाज बन्धु सेवा दे रहे है वे श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा, गंगा मन्दिर समिति ओर शिक्षण संस्थाओ की प्रबन्ध समितियो के सदस्य नही है, वे कुत्सित राजनैतिक इरादों के साथ षडयन्त्रपूर्ण तरीकों के साथ पूर्वजो के द्वारा स्थापित व्यवस्था के लिये असत्य एवं नकारात्मक विषयो का उल्लेख करते हुए गंगा मन्दिर समिति एवं शिक्षण संस्थाओ को बदनाम कर बन्द कराने में लगे हुये है।

इसी दोरान श्री सोहन लाल ताम्बी द्वारा 19 सितम्बर 2020 को एक पत्र अन्य वाट्स एप पर पोस्ट कर चन्द्रमनोहर बटवाडा वर्ष 2004 से ही निष्काषित होने का उल्लेख करते हुए समाज को भ्रमित करने का अपराध कारित किया है। वे धनाढ्य एवं राजनेताओ को सामाजिक सेवा करने की चापलू सी करके लाभान्वित होते रहे है।

परन्तु सभी साथी समाज बन्धुओ के दबाव में वास्तविक एवं सत्य तथ्यों का उल्लेख करने के लिय मै विवश हो गया हूँ , जो कि उनकी गरिमा को कम करने वाला है। परन्तु सत्य शाश्वत होता है इसलिए अहिंसक होता है और असत्य सदैव आवेश एवं हिंसा पैदा करने वाला होता है। आतः आपके समक्ष मेरी जानकारी अनुसार सत्य विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ।

आपको निर्णय करना है कि हमे सोसायटी श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणि सभा की संस्थाओं से कैसे सेवक एवं पदाधिकारी चाहिये?

श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा एवं श्री गंगा मन्दिर समिति, श्री राममन्दिर समिति ओर शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के विवाद कब से, क्यों और इसका निवारण क्या? यह महत्वपूर्ण प्रश्न सामने खडा है।

इन उपरोक्त प्रश्नो के हल करने के लिये संस्था के सभी सोसायटी सदस्य बन्धुओ को सम्पूर्ण पृष्ठ भूमि एवं सबन्धित व्यक्तियों की जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए यह तीन चरणो में प्रस्तुत की जा रही है।

वर्ष 1948 से 1984 तक स्थितिः– पूर्व अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण जी कट्टा उनके सहयोगी परिवारों घीया, ताम्बी, डगायच, रावत का वर्चस्व जो कि श्री श्रीराम जी गोटेवाले के निकटस्थ थे।

सन् 1984 से 1998 तक की स्थिति :– वर्ष 1983 श्री राधेश्याम जी राजोरिया (IAS) जयपुर कलेक्टर, मुख्य चुनाव अधिकारी बने, अध्यक्ष पद के लिए श्री राधाकृष्ण जी कट्टा एवं श्री राधेश्याम जी सौंकिया (जो कि श्री श्रीराम जी गोटेवाला कांग्रेस पार्टी के विरूद्व जनसंघ पार्टी से चुनाव लडे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे।) ने चुनाव लडा (वे आपस में परस्पर ब्याई भी थे।) इस ऐतिहासिक चुनाव में श्री राधेश्याम जी सोंखिया विजयी घोषित किये गये। परन्तु श्री कट्टा जी ने समाज की न्याय परिषद से अविधिक आदेश लेकर चार्ज नही दिया । इस पर श्री राधेश्याम जी सौंखिया ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य निवाचन अधिकारी श्री राजोरिया जी की गवाही पर सौंखिया जी के पक्ष को निर्णय हुआ और उन्हे लगभग 10 महीने चार्ज प्राप्त करने में लगे।

इसके बाद से ही कट्टा जी और उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के बन्धु निरन्तर सत्ता हथियाने में लगे रहे।

इसके पश्चात सन् 1987 में श्री लक्ष्मणदास जी चोधरी दौसा वाले निर्वाचित हुये

वर्ष 1990 में श्री रामचन्द्र जी आकड संयोजक निर्वाचन समिति बने श्री रामकिशोर जी ताम्बी एवं श्री सीताराम जी रावत के मध्य हुये चुनाव में अति गुंडागर्दी की स्थिति में रात 1.30 बजे श्री रामकिशोर ताम्बी को अध्यक्ष घोषित किया (विशिष्ठ विवरण लिखना अब सार्थक नही है) परन्तु सोखिया ग्रुप के जो भी बन्धु रहे वे जानकारी दे सकते है।

परन्तु श्री रामकिशोर ताम्बी प्रबन्धकारिणी समिति में बहुमत का प्रबन्ध नही कर सके इसलिये श्री रामकिशोर ताम्बी ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आम सभा द्वारा बनाये जाने वाली न्यायपरिषद का स्वयं ने गठन करते हुए चैयरमैन स्वंय के साढू श्री रामरतन जी गुप्ता एडवोकेट को बनाया। श्री रामरतन जी गुप्ता ने विधान एवं नियमावली के विरूद्व प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारी मन्दिर और शिक्षण संस्थाओ की प्रबन्ध समितियों हेतु तीन माह के लिये पॉच–पॉच सदस्यो की तदर्थ समितियां बनाने का आदेश दिया। श्री रामकिशोर जी ताम्बी ने आगामी सात वर्षों तक (सन् 1997) तक चुनाव नहीं कराये ।

इस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में नियुक्त चुनाव अधिकारी श्री मनीष भण्डारी एडवोकेट (जो कि बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी बने) द्वारा कराये गये । जिसमें सौंखिया ग्रुप के श्री लक्ष्मण दास जी चोधरी दौसा वाले अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किये गये । त्तपश्चात समाज की न्यायपरिषद का आदेश लेकर मतदाता सूचि में 249 नाम ओर जोड दिये। जिससे सोंखिया ग्रुप के बन्धुओ ने पुनः उच्च न्यायालय में जाने के बजाय नवनिर्वाचित अध्यक्ष की सलाह पर समाज को एक रखने

के लिए चुनाव के स्थान पर समितियों के विकसित एवं अविकसित आधार पर बंटवारे कर दिये । सोखिया ग्रुप को अविकसित समितियो एवं हितकारिणी सभा प्रधानमंत्री (एक पद) श्री सीता राम रावत को दिया ।

सन् 2002 से आज (सन् 2020) तक की स्थिति :–

श्री राधेश्याम जी राजोरिया (पूर्व आई.ए.एस) मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया परन्तु उन्होने परिस्थिति वश पत्र दिनांक 14.09.2002 से इस्तीफा देने के कारण श्री मानसिंह गुप्ता एडवोकेट को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया । उनके द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अध्यक्ष पद के लिये नाम वापसी की तारीख पश्चात् निम्न सदस्य प्रत्याशी रहे सर्व श्री डॉ. दिनेश सेठी, श्री जगमोहन जसोरिया, श्री कैलाश नारायण नाटाणी, श्री महेन्द्र हल्दिया, श्री नवल किशोर झालानी, श्री रामबाबू झालानी, श्री रामकिशोर ताम्बी, श्री सुरेश पाटोदिया वं श्री सोहन लाल ताम्बी घोषित उम्मीदवार रहे। श्री रामकिशोर ताम्बी ग्रुप ने हार के डर से कुत्सित राजनैतिक षडयन्त्र रचकर 21 समाज बन्धुओ की समिति एक अध्यक्ष तय करने के लिए बनायी। जिसमें उक्त प्रत्याशियों के अतिरिक्त सर्व श्री हरिमोहन डंगायच, ओम प्रकाश डंगायच, सतीश कट्टा, श्रीराम रावत, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, पंकज घीया, बनवारी लाल दुसाद, आत्माराम गुप्ता, सत्यनारायण धामाणी, ओर सौंखिया ग्रुप से दिनेश पीतलिया, राजेन्द्र ताम्बी, चन्द्र मनोहर बटवाडा को लिया गया।

सदस्यों की संख्या गैर आनुपातिक होने के कारण चन्द्र मनोहर बटवाडा ने प्रस्ताव रखा कि कोई भी निर्णय मतांक के आधार पर न होकर सर्वसम्मत होने पर ही माना जावे जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया। प्रत्याशियों में श्री राम किशोर ताम्बी एवं श्री सोहन लाल ताम्बी दोनो में से एक मतैक्यता न होने पर श्री हरिमोहन जी डंगायच, श्री ओमप्रकाश जी डंगायच, श्री सतीश जी कट ्टा, श्री सुरेन्द्र कुमार जी गुप्ता और श्रीराम रावत जी की समिति बनायी गयी। जिसके द्वारा सर्वसम्मत नाम श्री सोहन लाल ताम्बी को घोषित किया गया ।

श्री सोहनलाल ताम्बी का नाम घोषित होने पर सोंखिया ग्रुप को भारी प्रसन्नता हुयी और शेष सभी प्रत्याशियों के नाम वापसी दिनांक 18.12.2002 को कर लिये जाने पर सर्व सम्मति से सोहन लाला ताम्बी को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। परन्तु श्री सोहन लाल ताम्बी स्वयं ही सर्वसम्मति अध्यक्ष बताते हुए श्री रामकिशोर ताम्बी ग्रुप में मिल गये। जिसकी जानकारी सोखिया ग्रुप को प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी के चुनाव में प्रत्याशियो पर सहमति (उक्त समिति के पांच सदस्यों के द्वारा स्वयं के भाई भतीजें एवं निकट सबन्धी श्री पंकज घीया, प्रेम चन्द कट्टा एवं नारायण लाल बडाया का नाम लिये जाने के कारण) नहीं हुयी।

सोंखिया ग्रुप प्रत्याशीयो द्वारा पदाधिकारियों को चुनाव के लिये प्रचार शुरू करने के बाद श्री सोहन लाल ताम्बी ने धमकी दी की यदि पूर्व की भॉति पदाधिकारियों और समितियों

का विभाजन नही रखा गया तो श्री रामकिशोर ताम्बी की तरह तदर्थ समितियॉ मेरे द्वारा घोषित कर दी जायेगी इस दबाब में पूर्व की भॉति सोखिया ग्रुप को एक मात्र प्रधान मन्त्री पद देकर चन्द्र मनोहर बटवाडा को निर्वाचित घोषित किया गया शेष सभी पदों पर श्री राम किशोर ताम्बी ग्रुप को दिये गये ।

अध्यक्ष श्री सोहन लाल ताम्बी द्वारा विधान विरूद्व श्री सीताराम जी सेठी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद पर नियुक्त किया एवं प्रधानमंत्रीी कानून विरूद्व कार्य करने और एवं अनुचित बिलों को पारित करने के दबाव डालने लगे। जिसके लिये प्रधानमंत्री चन्द्र मनोहर बटवाडा के मना कर दिया जाने पर प्रबन्धकारिणी की मीटिंग जिसमें अविधिक आदेश एव चुनाव पर विचार एवं निर्णय के लिए दिनांक 02 नवम्बर 2003 की अधिसूचना समाचार पत्रो में प्रकाशित करायी गयी। इसके विरूद्व में पदाधिकारियो की मीटिंग पर मतांक के आधार पर बाध्यता के निर्णय दिया। तत्पश्चात् संयुक्त मंत्री से प्रबन्धकारिणी की मीटिंग आमन्त्रित करायी गयी जिसका विरोध करने पर मतभेद समाप्त करने के लिये श्री राधेश्याम जी सौंखिया के निवास पर श्री राधाकृष्ण जी राठी एवं दामोदर जी मोदी की मध्यस्थता में मीटिंग हुयी ओर श्री सोहन लाल ताम्बी ने विज्ञप्ति को वापस लेना स्वीकार किया।

इसके बाद श्री जगमोहन जसोरिया कोषाध्यक्ष द्वारा श्री खण्डेलवाल वैश्य केन्द्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गबन का आरोप लगाते हुये प्रशासक बैठाने का पत्र माननीय जिलाधीश महोदय को दिया जिस पर प्रशासक के लिये आदेश हो गये।

प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी मिलने पर उनके द्वारा इस कार्यवाही को रूकवाकर अध्यक्ष महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया। इस पर 01 अप्रेल 2004 को प्रबन्धकारिणी समिति की मीटिंग नोटिस दिनांक 18 अप्रेल 2004 के लिए जारी किया। जिसे समाचार पत्रो में प्रकाशित करा दिया गया।

परस्पर विरोध एवं विभाजन की स्थिति उत्पन्नः– श्री सोहन लाल ताम्बी ने सभी पदाधिकारियो की मीटिंग करके 01 अप्रेल 2004 को संयुक्त मंत्री श्री प्रेम चन्द कट्टा के जरिये प्रबधकारिणी की मीटिंग दिनांक 10 अप्रेल 2004 के लिये विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित करायी । प्रधानमंत्री द्वारा विरोध करने पर 02 अप्रेल 2004 को श्री रामदास जी सौखिया के निवास पर उपरोक्त समिति के 21 सदस्य एवं श्री राधेश्याम जी सौंखिया एवं श्री सीताराम जी रावत श्री मदन लाल जी गुप्ता, श्री रामरतन घीया की उपस्थिति में मीटिंग हुयी जिसमें प्रधान मंत्री चन्द्रमनोहर बटवाडा द्वारा अध्यक्ष श्री सोहन लाल ताम्बी के द्वारा कराये गये अविधिक कार्यों की जानकारी दी जिसे ताम्बी जी ने स्वीकार किया परन्तु उन्होने सर्व सम्हमत निर्णय के बाद भी दिनांक 10 अप्रेल 2004 की मीटिंग की विज्ञप्ति को निरस्त करने के लिए मना कर दिया गया।

इसके बाद चन्द्र मनोहर बटवाडा ने तुरन्त 02 अप्रेल 2004 को प्रबन्धकारिणी समिति की अत्यावश्क मीटिंग दिनांक 09 अप्रेल 2004 के लिये आमन्त्रीत की जिसमें अन्य विषयो के

साथ श्री जगमोहन जसोरिया कोषाध्यक्ष, एवं श्री प्रेम चन्द कट्टा संयुक्त मंत्री द्वारा किये गये विधान एवं संस्था विरोधी कार्यो पर विचार एवं निर्णय एजेन्डा दिया गया था। उनसे स्पष्टीकरण हेतु जारी पत्र में 7 अप्रेल 2004 तक जवाब मागा गया। परन्तु न ही जवाब दिया ना ही 09 अप्रेल 2004 को प्रबन्धकारिणी समिति की मीटिंग में उपस्थित हुये । दिनांक 09 अप्रेल 2004 को प्रबन्धकारिणि मीटिंग में 704 सदस्य उपस्थित हुये विस्तृत विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से श्री प्रेम चन्द कट्टा एवं श्री जगमोहन जसोरिया का श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा की पद एवं साधारण सदस्यता से 6 वर्ष के लिये निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया।

दिनांक 09 अप्रेल 2004 की मीटिंग में श्री प्रेम चन्द कट्टा एवं श्री जगमोहन जसोरिया के द्वारा किये गये अवैधानिक कार्यो के पीछे अध्यक्ष श्री सोहन लाल जी ताम्बी का आदेश एवं सहमति मानते हुए उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव पारित कर आम सभा दिनांक 20 अप्रेल 2004 को रखा जावे, निर्णय किया गया ।

उक्त निर्णयो की सूचना दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के 10 अप्रेल 2004 के संस्करण में भी विज्ञप्ति के जरिये सभी सदस्यो को दी गयी।

निष्कासित होने के बावजूद भी दिनांक 10 अप्रेल 2004 को श्री प्रेम चन्द कट्टा ने श्री सोहन लाल ताम्बी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित कर श्री चन्द्रमनोहर बटवाडा को प्रधानमंत्री पद से विधान विरोधी कार्य का स्पष्ट उल्लेख किये बिना निष्कासित करने एवं श्री नारायण लाल बडाया को प्रधान मंत्री बनाने का प्रस्ताव करने का मीटिंग प्रविवरण रजिस्ट्रार सोसायटी जयपुर को भिजवाया गया । जिसके 254 उपस्थित सदस्यो की सूची संलग्न की गयी। इस मीटिंग प्रविवरण की 16 अप्रेल 2004 को पुष्टी की गई।

पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 18 अप्रेल 2004 को प्रबन्धकारणी मीटिंग में दिनांक 09 अप्रेल 2004 के प्रविवरण की पुष्टि की गयी । रिक्त पद कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पर श्री अनिल झालानी एवं श्री पूरणमल कायथवाल को सर्व समिति से निर्वाचित घोषित किया। श्री नारायण लाल बडाया से विधान एवं नियमावली विरोधी कार्य का स्पष्टीकरण एवं नियामावली नियम 3(1)(ग) में कार्यवाही करने के लिये कारण बताओ नोटिस का न तो जवाब दिया न ही उपस्थित हुये। प्रबन्धकारिणी मीटिंग 18 अप्रेल 2004 को श्री नारायण लाल बडाया का विधान विरोधी गतिविधियो मे संलग्नता का दोषी घोषित करते हुए हितकारिणी सभा की प्राथमिक सदस्यता से 8 वर्ष के लिए नियम 1 (ग) (3) के तहत् निष्कासित करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रबन्धकारिणी समिति की मीटिंग दिनांक 09 अप्रेल 2004 में पारित प्रस्ताव की अनुपालना में दिनांक 20 अप्रेल 2004 को आम सभा आयोजित हुयी जिसमें श्री सोहन लाल जी ताम्बी को भेजे गये कारण बताओ नोटिस का न तो कोई जवाब या स्पष्टीकरण दिया न ही स्वयं उपस्थित हुये । आम सभा में गहन विचार विमर्श के बाद श्री सोहन लाल ताम्बी

को विधान विरोधी गतिविधियो में लिप्तता का दोषी मानते हुए उन्हे सर्व सम्मति से हितकारिणी सभा के अध्यक्ष पद एवं प्राथमिक सदस्यता से 8 वर्ष के लिए नियम 1 (ग)(3) निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया ।

श्री रामस्वरूप जी डंगायच को शेष कार्यकाल के सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचित घोषत किया गया।

न्यायालय की कार्यवाहियॉ :–

श्री सोहन लाल ताम्बी, नारायणलाल बडाया एवं उनके सहयोगी व्यक्तियो के जरिये न्यायालयो में की गयी कार्यवाही विवरण एवं परिणाम निम्न प्रकार रहाः–

क्र.स	वाद / प्रार्थना पत्र संख्या	न्यायालय	उनवान	निर्णय
1	494 / 2004 निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र MainOrders-PDF पेज नम्बर 1 से 12 तक	अतिरिक्त सिविल जज (क ख) पश्चिम, जयपुर नगर जयपुर	श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा जरिये नारायण लाल बडाया विरूद्व चन्द्र मनोहर बटवाडा, रामस्वरूप डगायच	निर्णय दिनांक 01.11.2004 प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला स्वयं के पक्ष में साबित नही कर पाया है। **प्रार्थी को बैठक दिनांक 20.04.2004 के अनुसार संस्था की सदस्यता से प्रथम दृष्टया निष्कासित किया जा चुका है।** ऐसी स्थिति में मेरी राय में प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने से प्रार्थी संस्था को कोई क्षति एवं असुविधा होने की संभावना नही है। **उपरोक्त दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व तय किये जाते है।**
2	37 / 2004 दीवानी विधि अपील निर्णय वाद / प्रार्थना पत्र संख्या 494 / 2004 आदेश दिनांक 01.11.2004	न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 जयपुर नगर, जयपुर	श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा जरिये नारायण लाल बडाया विरूद्व चन्द्र मनोहर बटवाडा, रामस्वरूप डगायच	निर्णय आदेश दिनांक 09. 09.2005 विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओ पर विस्तार से विचार किया है। अपीलाधीन आदेश को किसी भी प्रकार से मनमाना, अभिलेख के विपरीत या विधि विरूद्व ठहराने का कोई आधार नही है। विद्वान विचारण

	MainOrders -PDF पेज नम्बर 13 से 15 तक			न्यायालय ने अपीलार्थी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई तथ्यात्मक या कानूनी भूल नही की है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। **एतद्दारा खारिज की जाती है।**
3	वाद संख्या 60/2004 MainOrders -PDF पेज नम्बर 16 से 67 तक	न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर शहर, जयपुर	श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा, जयपुर एवं अन्य नारायण लाल बडाया, सोहन लाल ताम्बी, प्रेम चन्द कट्टा विरूद्व चन्द्रमनोहर बटवाडा एवं अन्य, 15 प्रतिवादीगण	दावा बाबत घोषणा सोहन लाल ताम्बी, जगमोहन जसोरीया एवं प्रेम चन्द कट्टा का निष्कासन रद्द करने बाबत। यह **वाद दिनांक 14/08/2018 को खारिज कर दिया गया।**

न्यायालयो में प्रस्तुत वाद चन्द्रमनोहर बटवाडा के द्वारा प्रस्तुत वाद की स्थितिः–

क्र.स	वाद/ प्रार्थना पत्र संख्या	न्यायालय	उनवान	निर्णय
1	विविध प्रार्थना पत्र 08/2004	सिविल न्यायाधीश क.ख क्रम.3 जयपुर नगर, जयपुर	श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा जरिये चन्द्र मनोहर बटवाडा विरूद्व श्री नारायण लाल बडाया	आदेश दिनांक 20.07.2004 प्रार्थना पत्र A.D.J.No.2 में इसी बिन्दु पर वाद लम्बित होने के **आधार पर खारिज किया गया।**
2	अपील संख्या 36/2004	अपर जिला न्यायाधीश, क्रम. 4 जयपुर नगर	श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा जरिये चन्द्र मनोहर बटवाडा विरूद्व श्री नारायण लाल बडाया	आदेश दिनांक 18.03.2006 इस प्रकार अब न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति ने एक ही दिन के अन्तर पर संयुक्त मंत्री प्रेमचन्द कट्टा एवं प्रार्थी चन्द्र मनोहर बटवाडा

				को सदस्यता निष्कासित किया है। ऐसी स्थिति में संस्था की साधारण सभा के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाना अपेक्षित होना कहा जा सकता है कि वे रेस्पोन्डेन्ट नारायण लाल बडाया को संस्था के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते है अथवा प्रार्थी चन्द्रमनोहर बटवाडा को संस्था के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते है प्रार्थी चन्द्रमनोहर के साथ प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने में संस्था का अन्य पदाधिकारी सम्मिलित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी प्रार्थी के हक में सबल केस बनना नही मानते का मत त्रुटिपूर्ण होना नही पाया जाता है।
	ACJM-3 जयपुर शहर, जयपुर MainOrders -PDF Page 78	सन्दीप डगायच विरूद्व श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा		दी गई नजीर लागू नही होती है क्यो कि चन्द्र मनोहर बटवाडा को निष्कासन को कही भी चुनोती नही दी गयी है तथ्य को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है इसलिए अनुतोष पाने का अधिकारी नही है।

श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा साधारण सभा (रजिस्टर्ड) साधारण /आमसभा दिनांक 06 जून 2006 का कार्यवाही विवरण :–

एजेन्डा नं. – 3 विभिन्न न्यायालयों के प्रकरणों व पारित आदेशों पर विचार एवं निर्णय :–

माननीय न्यायालय ए.डी.जे. –4 के आदेशानुसार चन्द्रमनोहर बटवाडा को ही यह आमसभा पंजीकृत संस्था श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा का प्रधानमंत्री देखना चाहती है या नहीं सदन को निर्णय करना है। मैं रामकिशोर रावत प्रस्ताव करता हूं कि यह आमसभा श्री चन्द्रमनोहर बटवाडा को ही पंजीकृत संस्था श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा का प्रधानमंत्री देखना चाहती थी एवं वर्तमान में भी चन्द्रमनोहर बटवाडा को प्रधानमंत्री ही देखना चाहती है।

सदस्य श्री श्रीराम बडाया ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया सदन में प्रस्ताव के समर्थन के साथ ही सभी उपस्थित सदस्यों ने हाथ उठाकर एक स्वर में कहा कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पास – पास अर्थात प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव की सदन चन्द्रमनोहर बटवाडा को ही प्रधानमंत्री देखना चाहता है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की।

सोहन लाल जी ताम्बी की हितकारिणी सभा ग्रुप ने स्वयं स्वीकार कर हनुमान सहाय गुप्ता अध्यक्ष ने दिनांक 12.03.2019 को पत्र लिख कर Letter1-PDF Page 1 से 2 स्वीकार किया की उनके अधिकार क्षेत्र में मात्र लगभग 400 वर्गफुट क्षेत्र है जिसमे कार्यालय कार्यरत है अन्य सभी मुकदमे श्री चन्द्र मनोहर बटवाडा ग्रुप द्वारा ही अन्य व्यक्तियों से लड़े जा रहे हैं | स्पष्ट है सोहन लाल ताम्बी ग्रुप स्वयं मानता है श्री चन्द्र मनोहर बटवाडा ग्रुप की हितकारिणी सभा ही वैध है |

श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा के विधान एवं नियमावली की वैधानिकता की स्थितिः–

संस्था के विधान एवं नियमावली में आवश्यक संशोधन करने हेतु निर्धारित प्रावधानो के अनुसार असाधारण आमसभा दिनांक 21 जून 2004 को आमन्त्रित कर प्रस्तावित संशोधन पर गहन विचार के बाद सर्व सम्मति से स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिसकी पुष्टि आमसभा दिनांक 16 अक्टूबर 2004 मे की गयी। जिसके अनुसार वर्ष 2005 में संस्था के चुनाव की विज्ञप्ति जारी की गयी ।

विधान संशोधन को लेकर उठाई गयी आपत्तियो के निस्तारण के पश्चात् श्री सीताराम खण्डेलवाल ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय सार विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.स	वाद/ प्रार्थना पत्र संख्या	न्यायालय	उनवान	निर्णय
1	56/2005 MainOrders -PDF Page 80 to 89	अपर जिला न्यायाधीश क्रम –4, जयपुर नगर, जयपुर	सीताराम खण्डेलवाल विरूद्व श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारणी सभा व अन्य	निर्णय आदेश दिनांक 28.09.2005 इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा एक्जी. 1 संविधान के अन्तर्गत पूर्णतया कार्यवाही करते हुए संविधान में संशोधन किया जाना प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त संशोधित संविधान को एक्जी. ए 9 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

				एक्जी.9 के पृष्ठ संख्या 13 की धारा 5 चुनाव निर्वाचन समिति के गठन करने का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन समिति के तीन सदस्य होने का उल्लेख करते हुए पूर्व के तीन प्रधानमंत्री अवरोही क्रम में होने का प्रावधान बनाया गया है। विचारणीय विवादित निर्वाचन समिति में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रावधान की पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक है, क्योकि निर्वाचन समिति में तीन पूर्व प्रधानमंत्री होने के विषय में वादी की ओर से कोई विवाद उत्पन्न नही किया गया है। **इस प्रकार विधान संख्या 1 वादी के विरूद्व एवं संख्या 3 प्रतिवादी के हक में निर्णीत किया जाता है।**

उक्त वाद में दिये निर्णय के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नही की गयी ओर रजिस्ट्रार सोसायटीज जयपुर द्वारा विधिक अधिकारी से एवं विभागीय अधिवक्ता श्री राम कुमार एडवोकेट से प्राप्त विधिक राय के अनुसार श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा उक्त विधान एवं नियमावली की पुष्टि कर प्रमाणित प्रति दिनांक 25.03.2006 जारी की गयी। अतः स्पष्ट है की चन्द्रमनोहर बटवाडा तत्समय वैध प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में उनके द्वारा संशोधित विधान दिनांक 21 जून 2004 ही श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा का वैध विधान एवं नियमावली है।

श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा एवं समितियों के एकीकृत स्वरुप के लिये प्रयास :

1. राधेश्याम जी सौंकिया के निवास पर दामोदर जी मोदी एवं राधाकृष्ण जी राठी की मध्यस्थता में मीटिंग में सोहनलाल जी ताम्बी द्वारा गलती स्वीकार कर प्रकाशित विज्ञप्ति वापस ली गई।

2. रामदास जी सौंकिया के निवास पर मतभेद समाप्त करने के लिये बुलाई गई मीटिंग में तात्कालिक पदाधिकारी एवं 21 विशिष्ट बन्धुओं की समिति के समक्ष प्रस्तुत अध्यक्षीय अविधिक कार्यों की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बावजूद संयुक्त मंत्री प्रेमचन्द कट्टा द्वारा आमंत्रित असंवैधानिक मीटिंग 10 अप्रेल 2004 को सभी उपस्थित बन्धुओं के कहने पर भी निरस्त नहीं किया।

3. वर्ष 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय अधिकारी / प्रचारक के साथ बैठकर बनायी गई समिति के निर्णय के बावजूद सोहनलाल जी ताम्बी ने पद छोडने से इन्कार कर दिया।

4. वर्ष 2007 में एस.एन. गुप्ता जी के नेतृत्व में समाज के सम्पन्न, प्रभावी एवं विशिष्ट समाज बन्धुओं की समिति बनाकर तीन दिनों तक नियमित चिन्तन के बाद सर्वसम्मत निर्णय किया गया कि चन्द्रमनोहर बटवाडा द्वारा प्रस्तुत संशोधित विधान एवं नियमावली ही वैध है और 21 व्यक्तियों की सर्वसम्मत कमेटी बनाने का निर्णय हुआ जिसमें 10 – 10 नाम दोनो ग्रुपों को देने थे। आगामी कार्यदिवस पर चन्द्रमनोहर बटवाडा ग्रुप के भी नाम एस.एन. गुप्ता जी ने ही लिख दिये। जिसका विरोध होने पर कमेटी ही नहीं बनी।

5. वर्ष 2009 में पुनः हरिमोहन जी डंगायच कार्यालय में बैठने पर सोहनलाल जी ताम्बी ने वैधानिक विधान को विवादास्पद बताकर कहा कि वैध होगा तो मै स्तीफा दे दूंगा, जब इस पर निर्णय की घडी आयी तो मीटिंग ही समाप्त कर दी।

6. वर्ष 2012 में हरिमोहन जी डंगायच, गोपाल दास जी सौंकिया एवं श्यामजी खटोरिया द्वारा भी दोनो पक्षों के विवाद सुनकर उच्च न्यायालय के वकीलों से परामर्श अनुसार वैधानिक रुप से कार्य निपटाने के लिये लिखित में पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने एवं सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर 15 दिनों मे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। प्रपत्र लेने के बाद इनके द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया।

7. मोहनलाल जी गुप्ता के निवास पर 2013 में दोनो पक्षों को सुनकर सहमति से निर्णय हुआ कि चन्द्रमनोहर बटवाडा द्वारा प्रस्तुत विधान एवं नियमावली वैध रहेगी। खण्डेलवाल वैश्य एजूकेशनल ट्रस्ट समाप्त होकर सम्पूर्ण अधिकार श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा में निहित हो जायेंगे और श्री खण्डेलवाल वैश्य उच्च माध्यमिक विद्यालय हीदा की मोरी, सूरजपोल बाजार, जयपुर विद्यालय की प्रबन्ध समिति जो चन्द्र मनोहर बटवाडा ग्रुप का वैध अधिकार है को एक माह में सुपुर्द कर दिया जायेगा। परन्तु मोहनलाल जी गुप्ता के विधायक बनने के बाद उक्त समझौते का क्रियान्वयन उनके द्वारा नहीं करवाया गया।

अतः अब समाज बन्धुओं को स्वयं आंकलन करना है कि श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा के एकीकरण में क्या बाधाएं हैं और उनका निवारण कौन नहीं करना चाहता है ?

<u>अन्तर्गत समितियों की स्थितिः–</u>

1. श्री खण्डेलवाल वैश्य जातीय गंगा मन्दिर समिति :

2. श्री खण्डेलवाल वैश्य जातीय राम मन्दिर समिति :

मन्दिर परिसर भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति :–

गंगा माता मन्दिर के लिये सम्वत् 1932 में तात्कालिक जयपुर रियासत में मंत्री श्री रामप्रताप जी खूँटेटा की पहल पर यह भूखण्ड नादिर श्री दुर्गाबक्श जी आमेरिया के आवेदन पर आवंटित किया गया।

1947 में स्थिति : मन्दिर परिसर का मुख्य दरवाजा, एवं दरवाजे के उत्तर की ओर आवासीय कमरे बने हुए थे जिसमें समाज के शिक्षार्थी रहा करते थे।

वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय के मुख्य भवन का निर्माण हो चुका था।

1967 में स्थिति :– मुख्य दरवाजे के उत्तर की ओर समाज बन्धुओं के सहयोग से दुकानों का एवं प्रथम मंजिल पर कमरों का निर्माण भी करवाया गया और पश्चिम की ओर टीनशेड के कमरों में छात्रावास का निर्माण करवाया गया।

1977 में स्थिति :– उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ (उत्तर की ओर) पहली मजिल पर पश्चिम देखते हुए कमरों का निर्माण हुआ था।

1977 से 1995 तक कोई निर्माण कार्य नही हुआ।

1996–97 में मन्दिर की दीवारों और छत पर कांच के कार्य द्वारा सौन्दर्यीकरण का काम हुआ।

1998 से 2005 तक स्थिति :– गंगा मन्दिर परिसर के उत्तरी छोर पर परिचारिका भवन (22 कमरे 3 हॉल एवं जाने आने के लिये सीढियों के साथ –साथ जनाना अस्पताल के मरीजों / अशक्त और वृद्धों के लिये खुर्रा (रैम्प) (समस्त निर्माण लगभग 10000 वर्गफुट) का निर्माण करवाया।

परिचारिका भवन में 10000 लीटर के उच्च जलाशय तथा भूतल पर 3000 लीटर के पानी के टैंक का निर्माण।

परिचारिका भवन में 400 फुट की गहराई के बोरिंग मय सबमर्सिबल पंप के कराया गया।

परिचारिका भवन से संन्तसुन्दर दार के नीचे कुऐ में सभी छतो से बरसाती पाने जाने के लिए हारवेस्टिंग विकासित किया गया।

मन्दिर के पश्चिम की ओर सन्त सुन्दरदास हॉल का निर्माण एवं सार्वजनिक सुविधाओं (स्नानघर एवं शौचालय) (लगभग 7000 हजार वर्गफुट) का निर्माण कराया गया।

मंदिर का शिखर का निर्माण श्री बलाराम दास जी महाराज के कर कमलो से आरम्भ कर गुम्बद पर शिखर कलश श्री राधवाचार्य जी महाराज के कर कमलो द्वारा किया गया ।

वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम परिचारिका भवन से गंगा मन्दिर परिसर से जोडते हुए बनाया गया।

2006 से 2010 तक की स्थिति :– मन्दिर के मुख्य दरवाजे से बांई ओर (दक्षिण में) प्रथम मंजिल में दुकान /कार्यालय कमरो का निर्माण दक्षिण की ओर कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने वृद्वाश्रम के लिये पूरा निर्माण और पूरब की ओर अरडू वाले मैदान की तरफ दुकानों का निर्माण । कुल लगभग 17000 वर्ग फुट का निर्माण कराया गया।

अरडू वाले मैदान में स्टेज और उसके पीछे कमरे मय लेट्रीन बाथरुम के बनवाये। स्टेज के ऊपर प्रथम मंजिल का निर्माण लगभग 900 वर्गफुट है।

उपरोक्त के अतिरिक्त दूसरी मंजिल तक जानेकी चार अलग अलग सिढियो का निर्माण कराया गया जो सभी चार फुट इसे अधिक चौडाई की है।

2014 से 2020 तक स्थितिः–

सन्त सुन्दरदास हॉल के नीचे का दस फुट विस्तार करके ए.सी. हॉल का निर्माण, सन्त सुन्दरदास हॉल में जाने के लिये नई सीढियों का निर्माण एवं प्राचीन कूंवे पर पक्की छांवण प्रथम मंजिल पर निर्माण कार्य किया गया।

वाटर हारवेस्टिगं सिस्टम अरडू वाले मैदान में बनाया गया।

मन्दिर के दोनो तरफ टिनशेट हटाते हुए पक्का निर्माण कराकर सुन्दर रास्ता बनाया गया।

मन्दिर के सामने के स्थल को बडा कर नई मार्बल फर्श का निर्माण कराया गया है।

परमपूजनीय महन्त लोधरापीठाधीश्वर बलरामदास जी महाराज के कर कमलों से मन्दिर शिखर निर्माण कार्य एवं गुम्बज का निर्माण कार्य का शुभारम्भ

पूजनीय रेवासापीठाधीश्वर राघवाचार्य जी के कर कमलों से मन्दिर के शिखर कलश स्थापना

गंगा मन्दिर प्रबन्ध समिति का गठन :–

श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा के निर्वाचन के साथ ही गंगा मन्दिर की व्यवस्था के लिये नियमित 15 सदस्यीय प्रबन्ध समिति का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाता रहा है।

1990 से 1997 के दौरान तदर्थ समिति हितकारिणी अध्यक्ष रामकिशोर जी ताम्बी द्वारा बनाई गई, तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में प्रबन्ध समिति का निर्वाचन वर्ष 1998 में किया गया।

सोहनलाल जी ताम्बी द्वारा गठित अविधिक निर्वाचन समिति द्वारा दिनांक 14/02/2004 को सभी अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं और श्री खण्डेलवाल वैश्य जातीय गंगा मन्दिर प्रबन्ध समिति, स्टेशन रोड, जयपुर एवं श्री खण्डेलवाल वैश्य जातीय राम मन्दिर प्रबन्ध समिति, गलता रोड़, जयपुर के लिये निर्वाचन विज्ञप्ति जारी की गई। शिक्षण समितीयों द्वारा इस विज्ञप्ति के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिये तत्पश्चात उक्त विज्ञप्ति के विरुद्ध सियाशरण खूंटेटा एवं राजेश कुमार गुप्ता बनाम श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा और सीताराम सेठी, सत्यनारायण बाजरगान के विरुद्ध एक वाद (वाद संख्या 23/2004) एवं निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रार्थना पत्र संख्या टी.आई. 03/2004 जिसमें माननीय न्यायालय एसीजेएम अति. सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड क्रम 3 जयपुर शहर द्वारा आदेश दिनांक 08/05/2006 को स्थगन आदेश प्रदान किया गया। (देखें MainOrders -PDF Page 70 to 72)

इसी दोरान आम सभा द्वारा बनाई गई निर्वाचन समिती द्वारा वर्ष 2004 में प्रबन्ध समिति का निर्वाचन विज्ञप्ती के अनुसार दिनांक 30.04.2004 गठन किया गया एवं कार्यभार सम्भाल लिया।

तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08.05.2006 पारित किया जिसका मूल अंश निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष अधिकारित आज्ञापक निदेशात्मक स्वरुप में चाहा है जिससे मुकदमें का गुण–दोष प्रभावित हो सकता है। इसलिये इस मामले में उभय पक्ष को मूल वाद के निर्णय तक विवादित मामले में यथा स्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किये जाने में साम्य रहेगा।

अतः उभय पक्ष मूल वाद के निर्णय तक विवादित मामले की यथा स्थित बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। पत्रावली विधिवत फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपरोक्त आदेश आज तक भी प्रभावशाली है।

2. **श्री खण्डेलवाल वैश्य जातीय राम मन्दिर समिति :–**

श्री खण्डेलवाल वैश्य जातीय राम मन्दिर का निर्माण एवं स्थापना :–

श्री राम मन्दिर की स्थापना वर्ष 1984 में श्री खण्डेलवाल वैश्य उच्च माध्यमिक विद्यालय हीदा की मोरी परिसर के उत्तर पश्चिम कोने में 8000 वर्गफुट खाली जमीन पर

लगभग 2500 वर्ग फुट में श्री सूरजनारायण जी कायथवाल जापान वाले के विनियोग से की गई । इसी के साथ वर्ष 1987 में महादेव जी के मन्दिर की स्थापना मन्दिर के दक्षिण की ओर समाज बन्धुओं के सहयोग से की गई।

वर्ष 2002 तक की स्थिति :–

मन्दिर परिसर में गणेश जी एवं दुर्गा माता के मन्दिर की स्थापना तथा भोजनशाला तथा मन्दिर पुजारियों के रहने हेतु आवासीय कमरों का निर्माण कराया गया। मन्दिर के उत्तर की ओर खाली स्थान पर दुकानों का निर्माण

वर्ष 2003 से 2020 तक की स्थितिः–

मन्दिर के उत्तर की ओर भागवत भवन एवं मन्दिर द्वार का निर्माण पूर्ण कराया गया।

राम मन्दिर प्रबन्ध समिति का गठनः–

वर्ष 1986 में पृथक से पहली बार श्री खण्डेलवाल वैश्य जातीय राम मन्दिर समिति का गठन किया गया। इसके बाद सन् 1990 में तदर्थ समिति राम किशोर ताम्बी द्वारा बनायी गयी । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में 1998 निर्वाचन सम्पन्न हुआ जिसमें रामेश्वर जी आमेरिया लवाणवाले अध्यक्ष निर्वाचित हुए तत्पश्चात् सन् 2004 में श्री रामजीलाल रावत अध्यक्ष एवं मंत्री श्री मोहन लाल जी गुप्ता (बालाहेडी) बने । परन्तु इन्हे चार्ज नही दिया और श्री सोहन लाल ताम्बी ने अन्य समिति बनादी जबकि माननीय न्यायालय ने वाद संख्या 23/2004 में अति.सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 08.05.2006 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। देखें MainOrders-PDF Page 70 to 72 जो आज भी कायम है। परन्तु समाज बन्धु ही काम कर रहे है इसलिए कभी व्यवधान नही किया।